# वन विभाग

क्रमांकः प. 1 (55)वन/2017 जयपुर दिनांकः 20.03.2018

## आदेश

राजसमन्द जिले में वन एवं वन्य जीवों के बेहतर प्रबंधन तथा सुरक्षा एवं संरक्षण में प्रभावी कार्यवाही के उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर के पत्रांक 4505 दिनांक 28.12.2017 से प्राप्त प्रस्तावानुसार प्रादेशिक वन मण्डल, राजसमन्द तथा वन्यजीव वन मण्डल, राजसमन्द का एकीकरण किया जाकर प्रादेशिक वन मण्डल, राजसमन्द का समस्त स्टाफ, संसाधन एवं क्षेत्र "वन्य जीव वन मण्डल, राजसमन्द" में विलीनीकरण किये जाने के आदेश एतद्द्वारा प्रसारित किये जाते है।

विलीनीकरण उपरांत वन मण्डल के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले वन एवं राजस्व क्षेत्रों का प्रबन्धन वन एवं वन्य जीव फील्ड कर्मियों क्रमशः सहायक वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी गणों द्वारा निम्नानुसार किया जावेगाः–

| क्र. सं. | सहायक वन संरक्षक | क्षेत्रीय वन अधिकरी | वन एवं वन्य जीवों के प्रबन्धन हेतु नियंत्रित किये जाने वाला क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 1. | सहायक वन संरक्षक कुम्भलगढ़ | क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्य जीव रैंज कुम्भलगढ़ | जिला राजसमन्द, की तहसील कुम्भलगढ़ की सीमा में आने वाला पंचायत समिति कुम्भलगढ़ का राजस्व तथा वन क्षेत्र (वन्य जीव अभयारण्य कुम्भलगढ़ के वन क्षेत्र सहित)। |
| | | क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्य जीव रैंज झीलवाड़ा | जिला राजसमन्द की तहसील गढ़बोर की सीमा में आने वाला राजस्व तथा वन क्षेत्र। (वन्य जीव अभयारण्य कुम्भलगढ़ के वन क्षेत्र सहित) |
| | | क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्य जीव रैंज बोखाड़ा | वन्य जीव अभयारण्य कुम्भलगढ़ अर्न्तगत जिला उदयपुर की सीमा में आने वाला अभयारण्य क्षेत्र यथावत। |
| 2. | सहायक वन संरक्षक सादड़ी | क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्य जीव रैंज देसुरी | जिला पाली, तहसील देसुरी की सीमा में स्थित वन्य जीव अभयारण्य कुम्भलगढ़ की निवर्तमान में वन्य जीव रैंज देसुरी की सीमा में आने वाला अभयारण्य क्षेत्र यथावत। |
| | | क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्य जीव रैंज सादड़ी | जिला पाली, तहसील देसुरी एवं नगर पालिका सादड़ी की सीमा में स्थित वन्य जीव अभयारण्य कुम्भलगढ़ की वन्य जीव रैंज सादड़ी की सीमा में आने वाला अभयारण्य क्षेत्र यथावत। |
| 3. | सहायक वन संरक्षक, भीम | क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्य जीव रैंज देवगढ़ | जिला राजसमन्द, तहसील देवगढ़ की पंचायत समिति देवगढ़ की सीमा में आने वाला राजस्व तथा वन क्षेत्र एवं तहसील देवगढ़ तथा भीम की सीमा में आने वाला वन्य जीव अभयारण्य रावली–टॉडगढ़ की रैंज कामलीघाट में अवस्थित क्षेत्र यथावत। |
| | | क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्य जीव रैंज जोजावर | वन्य जीव अभयारण्य रावली--टॉडगढ़ की तहसील मारवाड़ जक्शन जिला पाली की सीमा में आने वाला अभयारण्य क्षेत्र यथावत। |
| | | क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्य जीव रैंज बीजागुड़ा | वन्य जीव अभयारण्य रावली–टॉडगढ़ का जिला पाली, तहसील रायपुर एवं सोजत की सीमा में आने वाला अभयारण्य क्षेत्र यथावत। |
| | | क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्य जीव रैंज रावली | वन्य जीव अभयारण्य रावली–टॉडगढ़ का जिला अजमेर की तहसील टॉडगढ़ की सीमा में आने |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | भीम | वाला राजस्व तथा वन क्षेत्र। |
| 4. | सहायक वन संरक्षक, राजसमन्द | क्षेत्रीय वन अधिकारी नाथद्वारा | तहसील खमनोर तथा रेलमगरा जिला राजसमन्द की सीमा में आने वाला राजस्व तथा वन क्षेत्र। |
| | | क्षेत्रीय वन अधिकारी राजसमन्द | तहसील राजसमन्द तथा आमेठ एवं नगर परिषद राजसमन्द की सीमा में आने वाला राजस्व एवं वन क्षेत्र तथा तहसील देवगढ़ की सीमा में निवर्तमान में अवस्थित वन खण्ड सीभमाता व सेलागुडा का आंशिक वन क्षेत्र। |
| 5. | सहायक वन संरक्षक उड़न दस्ता, राजसमन्द | क्षेत्रीय वन अधिकारी उड़नदस्ता, राजसमन्द | वन्य जीव वन मण्डल राजसमन्द के क्षेत्राधिकार में अवस्थित राजस्व, वन तथा वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्रों में वन एवं वन्य जीव अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं वन्य जीवों का रैस्क्यू कार्य। |

उक्तानुसार क्षेत्र प्रबन्धन के अतिरिक्त सहायक वन संरक्षक सादड़ी तथा सहायक वन संरक्षक भीम उनके अधीन गठित क्रमशः वन्य जीव रैस्क्यू दल सादड़ी तथा भीम के प्रभारी होंगे एवं सहायक वन संरक्षक, वन्य जीव राजसमन्द उप वन संरक्षक कार्यालय से सम्बंधित प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे। एकीकृत वन मण्डल अधीन अन्य प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन हेतु प्रचलित अधिनियमों, एवं तत्सम्बंधी नियमों यथा वन अधिनियम वन्य जीव अधिनियम, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट आदि के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वन अधिकारियों को सम्बंधित धाराओं में वर्णित प्रावधानों अर्न्तगत शक्तियाँ प्रदान करने के लिये अधिसूचना/आदेशों में संशोधन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ) द्वारा किया जावेगा। वन मण्डलों के एकीकरण के फलस्वरूप प्रस्ताव अनुसार अधिशेष होने वाले फील्ड/मंत्रालयिक कर्मियों का समायोजन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ) द्वारा किया जावेगा।

उक्त नव सृजित वन मण्डल के नियंत्रक अधिकारी उप वन संरक्षक, वन्यजीव राजसमन्द होगें। नव सृजित वन मण्डल संभाग स्तर पर मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर के अधीन नियंत्रित होगा। विलीनीकरण के फलस्वरूप कार्मिकों की वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,

20/3/18

(योगेन्द्र कुमार दक)

शासन सचिव, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय वनमंत्री, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग राजस्थान जयपुर।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके प्रस्तावानुसार प्रादेशिक वन मण्डल राजसमन्द एवं वन्यजीव रामसमन्द के एकीकरण उपरांत अधिशेष हुए अधिकारियों/कर्मचारियों के समायोजन के प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र ही सक्षम स्तर से आदेश जारी कराने का कष्ट करे।
6. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन सरंक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर।
7. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर/ वन्यजीव, उदयपुर।
8. संभागीय आयुक्त, उदयपुर।
9. जिला कलेक्टर, राजसमन्द।
10. उप वन संरक्षक, राजसमन्द/ वन्यजीव, राजसमन्द
11. उप शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान जयपुर
12. रक्षित पत्रावली

20.3.18

(आर.के. खैरवा)